N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0212 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/09/2024 13:56 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 | 13(1)(d) |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 | 13(2) |
| 3 | भा दं सं 1860 | 467 |
| 4 | भा दं सं 1860 | 468 |
| 5 | भा दं सं 1860 | 471 |
| 6 | भा दं सं 1860 | 120-B |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/02/2018 **Date To (दिनांक तक):** 13/04/2024

      **Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 08:45 बजे **Time To (समय तक):** 11:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/09/2024 **Time (समय):** 12:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/09/2024 13:56:10 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** TALAB KI DHANI LALSOT, DISTRICT DAUSA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य) ):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PRITHVIRAJ MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMDHAN MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1967 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | 70, BHAGWATI NAGAR DWITIYA, KARTARPURA, MAHESH NAGAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | 70, BHAGWATI NAGAR DWITIYA, KARTARPURA, MAHESH NAGAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHEMRAJ BASWAL | | पिता:TATACHAND BASWAL | 1. PURANA BAS STAND,TODABHIM,KARAULI,RAJASTHAN,INDIA |
| 2 | HEERALAL SAINI | | पिता:DURGALAL | 1. TALAB KI DHANI,LALSOT,DAUSA,RAJAS |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
**(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 3,39,280.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 3,39,280.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

निवेदन है कि परिवादी श्री मुकेश गौतम संयुक्त सचिव राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन (एटक) ने एक टाईपशुदा शिकायत ब्यूरो मुख्यालय पर दिनांक 13.04.2018 को इस आशय की प्रेषित की कि श्री खेमराज बसवाल सहायक अभियंता अ-प्रथम, लालसोट दौसा द्वारा उपभोक्ता श्री हीरालाल सैनी पुत्र श्री दुर्गालाल सैनी निवासी तलाब की ढाणी लालसोट से आपसी मिली भगत कर उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुॅचाने की नीयत से उपभोक्ता के लगे हुये मीटर संख्या 6343050 की सतर्कता जांच प्रतिवेदन 25766/40 दिनांक 26.02.2018 को भरी गयी, जिसमे विद्युत उपयोग 64127 यूनिट भरा गया तथा कार्यालय पर आकर उपभोक्ता श्री हीरालाल सैनी से मिली भगत कर विद्यूत उपभोग 64127 यूनिट की अंतिम इकाई के अंक 7 को काटकर बड़ी चालाकी एवं बदनियती से अग्रेजी का अक्षर ,के, बनाते हुये दर्ज उपभोग 64127 के स्थान पर 6412 Kwh कर दिया एवं उपभोक्ता से वसूली जाने वाली राशि 64127-349060637 यूनिट के स्थान पर 6412-34902922 यूनिट कर दिया, जिससे उपभोक्ता को जमा कराने वाली राशि कम हो गयी। श्री बसवाल द्वारा उक्त सतर्कता जांच प्रतिवेदन मे नियम विरूद्ध कांटछाट की गयी एवं वी.सी.आर. मे बाद मे कांटछाट करते हुये नोट डाला की उक्त कनैक्शन की बकाया राशि 11025 विथ एल.पी.एस. पर काट दिया गया है एवं मीटर डोरी उतार लिये गये। वी.सी.आर. जांच प्रतिवेदन मे यह नोट डाला गया कि मीटर डोरी उतार लिये गये है कनैक्शन बाद मे काटा गया है, क्योकि जब्त मीटर मे उपभोग 66160 दर्ज है जो कि मूल सतर्कता जांच प्रतिवेदन मे दर्ज उपभोग 64127 से 2033 यूनिट ज्यादा हैं जो प्रमाणित करता हैं कि वी.सी.आर. दिनांक 26.02.2018 के बाद भी विद्युत आपूर्ति प्रवाहित रही। तथा मीटर डोरी बाद मे उतारे गये। उक्त प्रकरण की शिकायत यूनियन द्वारा प्रबंध निदेशक जयपुर व अधीक्षण अभियंता (प.व.स.) जयपुर डिस्कॉम दौसा को की जाने पर अधीक्षक अभियंता (प.व.स.) जयपुर डिस्कॉम दौसा द्वारा जांच अधीशाषी अभियंता (प.व.स.) जयपुर डिस्कॉम लालसोट दौसा को सौपी गयी। अधीशाषी अभियंता द्वारा (प.व.स.) जयपुर डिस्कॉम लालसोट दौसा द्वारा मीटर की जांच हेतु सहायक अभियंता एम.एस.टी. जयपुर डिस्कॉम दौसा को भिजवायी जाने पर सहायक अभियंता एम.एस.टी. द्वारा उक्त मीटर मे विद्युत उपभोग 66160 यूनिट व 7.5 एच.पी. का भार चलने की रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा अधीशाषी अभियंता द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट मे श्री खेमराज बसवाल तत्कालीन सहायक अभियंता अ-प्रथम लालसोट दौसा को दोषी मानते हुये अधीक्षण अभियंता को भेजी गयी व अधीक्षण अभियंता के मार्फत जयपुर डिस्कॉम के प्रशासन को भिजवायी गयी। श्री खेमराज बसवाल ने नियम विरूद्ध पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर राजकोष मे हानि पहुॅचाना व उपभोक्ता को लाभ पहुॅचाने का कार्य किया। वगैरा रिपोर्ट पर परिवाद संख्या 163/18 दर्ज होकर जांच श्री पृथ्वीराज मीणा, तत्कालीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हाल सेवानिवृत द्वारा की गई। परिवाद संख्या 163/18 की जांच से पाया गया कि उपभोक्ता श्री हीरालाल सैनी पुत्र श्री तेजाराम सैनी, निवासी तालाब की ढाणी लालसोट जिला दौसा की सर्विस नं. 2091 उपभोक्ता खाता संख्या 2403/772 कनेक्शन ऑर्डर नं. 4648/11 दिनांक 01.03.2012 कनेक्शन दिनांक 16.03.2012 मीटर नं. 6035422 प्रथम बिल जारी होने का माह 6/12 व स्वीकृत लोड 01 किलो वॉट था। जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा पूर्व में बिलिंग सिस्टम का कार्य एच.सी.एल कम्पनी के पास था तथा हीरालाल माली के मीटर संख्या 6043050 व खाता संख्या 2402/858 उपभोक्ता का मीटर व खाता बदल गये। तलाब की ढाणी लालसोट कस्बा से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं कार्यालय सहायक अभियंता लालसोट अप्रथम के क्षेत्राधिकार में स्थित होकर कम विकसित आबादी क्षेत्र है वहाँ पर खेती-बाडी का काम भी किया जाता है। सहायक अभियंता कार्यालय (अ-प्रथम) लालसोट दौसा में दिनांक 26.02.2018 को श्री खेमराज बसवाल सहायक अभियंता, श्री सुरेशचन्द मीणा तकनीकी सहायक, श्री सत्यप्रकाश लाईनमैन, श्री भागचन्द बैरवा तकनीकी सहायक व अन्य स्टॉफ कार्यरत थें। उस दिन सुबह करीब 6 से 8 बजे श्री खेमराज बसवाल ने उक्त सभी

तकनीकी सहायको को फोन कर वीसीआर चैकिंग के लिए कार्यालय पर बुलाया, जहाँ पर उक्त सभी उपस्थित आये व बसवाल के साथ चैकिंग हेतु रवाना हुऐ। श्री बसवाल ने इन सभी कर्मचारियों को साथ लेकर डीगो रोड व वहाँ से राजौली व राजौली में वीसीआर भरते हुऐ रवाना होकर तालाब की ढाणी में पहुचे, जहाँ पर श्री हीरालाल पुत्र दुर्गालाल सैनी की चार दिवारी में लगे मीटर को चैक करने के लिए श्री सत्यप्रकाश तकनीकी सहायक को भेजा, जो चार दिवारी में बनी हुई कोटरी में जाकर मीटर संख्या 6043050 की रीडींग ली व मीटर की फोटो खींचकर श्री खेमराज बसवाल को बताया तो उस समय उपभोक्ता द्वारा 64127 किलोवाट का उपभोग होना पाया गया। मौके पर और कोई अन्य व्यक्ति चार दिवारी के अन्दर नहीं मिला, मौके पर एक बोरिंग उसमें भी पाईप लगा हुआ व 10-15 बीघा जमीन में गेहुं, सरसो, चने की फसल लगी हुई व कोटरी से करीब 100 मीटर की दूरी में दो तीन कमरे बने हुऐ थें। मौके पर श्री खेमराज बसवाल सहायक अभियंता ने श्री हीरालाल सैनी की वीसीआर संख्या 25766/40 दिनांक 26.02.2018 को भरना शुरू किया व बस्ती का नाम तालाब की ढाणी, उपभोक्ता का विवरण श्री हीरालाल सैनी पुत्र श्री दुर्गालाल सैनी खाता संख्या व मीटर नम्बर 6043050, चक्रप्रति यूनिट 64127 किलोवाट, निरीक्षण के समय मीटर पठन का विवरण 64127 अंकित कर वीसीआर के पैरा 1,2,4 व 5 की पूर्ति कर आगे की वीसीआर खाली रखते हुऐ तलाब की ढाणी से रवाना हुऐ तथा मौके से उपभोक्ता के मीटर रीडिंग के फोटो मोबाईल में ली गई तथा उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन भी विच्छेद नहीं किया गया तथा मीटर व मीटर केबल भी नहीं उतारी गई तथा कार्यालय पर पहुचकर श्री हीरालाल सैनी को बुलाकर आपसी मिलिभगत कर वीसीआर में रीडींग 64127 के अन्तिम अंक 7 को अंग्रेजी में K बनाते हुऐ चक्रप्रति यूनिट 6412 KWH निरीक्षण के समय अंकित 64127 यूनिट के अन्तिम अंक 7 को भी अंग्रेजी में K बनाते हुऐ 64127 के स्थान पर 6412 KWH अंकित किया तथा मीटर में विद्युत कनेक्शन की स्थिति एंव पाये गये दोष में अंकित किया कि मौके पर जांच के दौरान पाया गया कि प्रार्थी को परिसर में विद्युत कनेक्शन निगम द्वारा जारी कर रखा है। जिसमें प्रार्थी के विद्युत बिल में उपभोग 3490 KWH तक ही लिया गया है तथा 641234902922 यूनिट ही वसूली योग्य निकाली गई तथा वीसीआर में मीटर बॉक्स सील नम्बर, सर्विस लाईन की स्थिति का विवरण पाया गये, विद्युत भार का विवरण, प्रतिदिन विद्युत उपभोग की अनुमानित अवधि के स्थान को खाली रखा तथा वीसीआर के पैरा संख्या 11 में जांच के दौरान पाये गये अन्य दोष में श्री खेमराज बसवाल द्वारा समायोजित राशि निगम नियमानुसार समायोजित राशि जमा नहीं कराने पर एटीवीएस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी। पैरा 12 में अन्य साक्ष्य में नोट लिखा कि उक्त कनेक्शन बकाया राशि 11025/- विदाउट एलपीएस पर काट दिया गया है। मीटर डोरी उतार दिया गया है। श्री खेमराज बसवाल द्वारा वीसीआर के पैरा संख्या 7,8,11,12 व 13 की पूर्ति मौके पर नहीं कर कार्यालय पर आकर श्री हीरालाल सैनी से मिलीभगत कर वीसीआर में कांट छांट कर भरी गई तथा मौके से मीटर डोरी नहीं उतारे गये। मीटर डोरी दो तीन दिन पश्चात उतारे गये। उस समय उक्त मीटर में उपभोग 66160 हो रखा था तथा वीसीआर में विद्युत के भार का उल्लेख नहीं किया तथा वीसीआर पर स्वयं के द्वारा हस्ताक्षर कर श्री सुरेशचन्द मीणा के हस्ताक्षर करवायें तथा श्री सत्यप्रकाश वर्मा का नाम लिख दिया तथा श्री सत्यप्रकाश के हस्ताक्षर नहीं करवायें। अगर मौके पर उक्त वीसीआर भरी जाती तो मौके पर उपस्थित सभी के हस्ताक्षर करवा लिये जाते तथा श्री खेमराज बसवाल द्वारा मौके पर मीटर व मीटर केबल भी नहीं उतारी गई। श्री सुरेशचन्द मीणा तत्कालीन तकनीकी सहायक हाल लाईन मैन कार्यालय सहायक अभियंता लालसोट को दो-तीन दिन बाद श्री खेमराज बसवाल ने श्री हीरालाल सैनी का विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने के लिए कहा लेकिन श्री सुरेश चन्द व्यस्त होने से श्री सत्यप्रकाश विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने व मीटर व मीटर केबल को लाने के लिए कहा। श्री सत्यप्रकाश ने विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर मीटर व मीटर केबल को लाकर सहायक अभियंता को सुपुर्द कर दिये तथा श्री खेमराज बसवाल द्वारा वीसीआर में भरी गई 64127 के स्थान पर श्री बसवाल द्वारा कांट छांट कर कुट रचित यूनिट 6412 KWH किया जाने से उपभोक्ता श्री हीरालाल सैनी द्वारा जुर्माना राशि 25766/- रूपये दिनांक 26.02.2018 को उपभोक्ता द्वारा जमा करा दिये गये। श्री रामनरेश मीणा कनिष्ठ अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता अ-प्रथम दौसा द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी श्री भागचन्द बैरवा तकनीकी सहायक से दिनांक 04.12.2017 को उपभोक्ता हीरालाल व अन्य उपभोक्ताओ की रीडिंग वैरिफिकेशन करवाई थी उस समय उपभोक्ता श्री हीरालाल के मीटर नम्बर 6043050 में रीडिंग 59456 KWH ली गई थी। जो सही थी तथा कनिष्ठ अभियंता द्वारा उक्त रीडिंग दिनांक 29.12.2017 को सहायक अभियंता को दे दी गई थी। सहायक अभियंता को यह पूर्ण जानकारी थी कि श्री हीरालाल सैनी के मीटर में ली गई रीडींग 64127 KWH सही है। इसके पश्चात श्री खेमराज बसवाल इस पूरे प्रकरण को आपराधिक षडयंत्र के तहत अन्जाम देते हुऐ उपभोक्ता से कम राशि वसूल कर राजकोष में हानि पहुचाकर व उपभोक्ता को लाभ पहुचाकर प्रकरण को दाखिल दफ्तर कर दिया। लेकिन उक्त मामले की शिकायत अधीक्षण अभियंता दौसा को की जाने पर उनके द्वारा मामले की गम्भीरता को देखते हुऐ अधीक्षण अभियंता द्वारा अधिशाषी अभियंता (पवस) जयपुर डिस्कॉम लालसोट को इस प्रकरण का जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अपनी जांच में पत्र संख्या 158 दिनांक 26.03.2018 द्वारा श्री बसवाल को मीटर संख्या 6043050 एंव वीसीआर संख्या 25766/40 दिनांक 26.02.2018 एंव फोटोग्राफ देने हेतु लिखा। श्री बसवाल ने वीसीआर संख्या 25766/40 दिनांक 26.02.2018 एंव मीटर संख्या 6043050 अधिशाषी अभियन्ता को दिये, परन्तु फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं करवाये। उपरोक्त जांच हेतू अधिशाषी अभियन्ता ने मीटर संख्या

6043050 को मीटर लैब दौसा में पत्र संख्या 3209 दिनांक 27.03.2018 के द्वारा सहायक अभियंता (एमएसटी) को भेजा। जिसकी जांच रिपोर्ट सहायक अभियंता (एमएसटी) दौसा ने जांच कर जांच रिपोर्ट संख्या 163 दिनांक 29.03.2018 एंव बिलिंग डाटा अपने पत्रांक 447 दिनांक 29.03.2018 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता को भेजी। उक्त जांच रिपोर्ट में मीटर में प्रारम्भिक रिडींग 66160.6 व अन्तिम रीडिंग 66161.06 पाई गई एंव मीटर error लिमिट में पाई गई। उपभोक्ता से बिलिंग 62671 यूनिट के चार्जेज लिये जाने थे। जबकि श्री खेमराज बसवाल ने मात्र 2922 यूनिट के चार्जेज लेना ही प्रस्तावित किया। उपरोक्त संबंध में अधिशाषी अभियन्ता ने श्री खेमराज बसवाल सहायक अभियंता अ-प्रथम लालसोट, श्री रामनरेश मीणा कनिष्ठ अभियंता शहर लालसोट, श्री सुरेशचन्द मीणा तकनीकी सहायक, श्री सत्यप्रकाश वर्मा तकनीकी सहायक के बयान लिये गये। श्री खेमराज बसवाल ने अधिशाषी अभियन्ता को दिये गये अपने बयानो मे कहा कि मीटर की रिडिंग श्री सत्यप्रकाश वर्मा तकनीकी सहायक एंव श्री सुरेचन्द मीणा तकनीकी सहायक ने ली थी। मैने स्वंय रिडिंग चैक नही की थी। तकनीकी सहायक जो रिडिंग बताई मैने कुछ और सुनी जिसकी वजह से ओवर राईटिंग हुई। बाद में मैने मीटर की रिडिंग चैक की तो रिडिंग 64127 पाई। श्री सत्यप्रकाश वर्मा तकनीकी सहायक ने अपने बयानों में कहा कि श्री खेमराज बसवाल सहायक अभियंता अ प्रथम लालसोट ने मीटर की रिडिंग चैक की थी। जो 64127 kwh पाई गई थी जिसको श्री खेमराज बसवाल ने वीसीआर में भरा था। मैने वीसीआर मे हस्ताक्षर नही किये थें। जिसके उपरान्त वीसीआर में क्या बदलाव किया ज्ञात नही होना बताया। श्री सुरेशचन्द मीणा तकनीकी सहायक ने अपने बयान मे कहा कि मीटर रिडिंग श्री सत्यप्रकाश वर्मा ने चैक की थी। जिसके उपरान्त श्री खेमराज बसवाल सहायक अभियंता ने वीसीआर में 64127 रिडिंग भरी थी एंव मेरे हस्ताक्षर करवाये थें। जिसके बाद उन्होने वीसीआर में क्या बदलाव किया, ज्ञात नही होना बताया। श्री रामनरेश मीणा कनिष्ठ अभियंता शहर लालसोट ने अपने बयान में कहा कि फीडर इंचार्ज (तकनीकी सहायक) श्री भागचन्द बैरवा ने श्री हीरालाल सैनी पुत्र श्री दुर्गालाल सैनी खाता संख्या 2402/0858 एंव अन्य तालाब की ढाणी लालसोट के उपभोक्ताओ की रिडिंग केप्चर कर अपने पत्र संख्या 645 दिनांक 29.12.2017 द्वारा सहायक अभियंता अ-प्रथम लालसोट को वास्तविक रिडिंग के आधार पर बिलिंग करने हेतु लिखा था। उपरोक्त बयानों एंव तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुऐ अधिशाषी अभियन्ता (प.व.स.) लालसोट दौसा ने यह पाया गया कि श्री खेमराज बसवाल सहायक अभियंता ने मीटर की रिडींग जान बूझकर बदनियति पूर्वक श्री हीरालाल सैनी को लाभ पहुचाने व निगम को हानि पहुचाने के उदे्दश्य से वीसीआर में 661606 के स्थान पर 6412 यूनिट दर्शा कर 59749 यूनिट का निगम को हानि पहुचाई। इसके पश्चात श्री खेमराज बसवाल ने दिनांक 20.03.2018 को श्रीमान सहायक राजस्व अधिकारी जयपुर डिस्कॉम लालसोट को पत्र लिखकर श्री हीरालाल सैनी पुत्र श्री दुर्गालाल सैनी तालाब की ढाणी लालसोट खाता संख्या 2402/858 के खाता में 57715 यूनिट की शेष राशि डेबिट करने हेतु लिखा। जिसे सीसीएण्डएआर संख्या 7019/37 /319 दिनांक 29.03.2018 को डेबिट किया गया। 59749-57715 2034 यूनिट की बिलिंग शेष रह गई। परन्तु उपभोक्ता से 59749 यूनिट की राशि कुल 451105/- रूपये की वसूली होना शेष है। श्री रामनरेश मीणा कनिष्ठ अभियंता शहर लालसोट द्वारा अपने तकनीकी सहायको के माध्यम से रिडिंग कैप्चर करवाकर सहायक अभियंता कार्यालय में पेश की थी। ताकि वास्तविक रिडिंग के आधार पर बिलिंग हो सके। कनिष्ठ अभियंता शहर लालसोट ने अपने पत्र संख्या 645 दिनांक 29.12.2017 को उक्त उपभोक्ता के मीटर दर्ज रिडींग 59456 kwh सूचित की थी। परन्तु उपभोक्ता का बिल उक्त रिडिंग का जारी नही हुआ। जिसके लिए श्री खेमराज बसवाल सहायक अभियंता अ-प्रथम लालसोट एंव श्री राजेश शर्मा सहायक राजस्व अधिकारी अ-प्रथम लालसोट लापरवाही के दोषी मानते हुये रिपोर्ट पत्रांक 159 दिनांक 05.04.2018 से एवं पत्रांक 174 दिनांक 08.05.2018 से अधीक्षण अभियन्ता (प.व.स.) दौसा को भिजवाई गई। उपभोक्ता श्री हीरालाल के मीटर मे अगस्त 2016 मे 109 यूनिट उपभोग की राशि 360 रू. , अक्टूबर 2016 मे 110 यूनिट उपभोग की राशि 390 रू. , दिसम्बर 2016 मे 110 यूनिट उपभोग की राशि 460 रू. , फरवरी 2017 मे 105 यूनिट उपभोग की राशि 366.67 रू. , अप्रेल 2017 मे 95 यूनिट उपभोग की राशि 400 रू., जून 2017 मे 105 यूनिट उपभोग की राशि 453.33 रू. , अगस्त 2017 मे 95 उपभोग की राशि 346.67 रू. , अक्टूबर 2017 मे 105 यूनिट उपभोग की राशि 400 रू. , दिसम्बर 2017 मे 95 यूनिट उपभोग की राशि 400 रू. व फरवरी 2018 मे 100 यूनिट उपभोग की राशि 400 रू. जनरेट हुये हैं, जो उपभोक्ता द्वारा समय समय पर जमा करा दिये गये हैं। तत्कालीन समय मे मीटर रीडिंग का कार्य प्राईवेट फर्म के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा था। सम्भवतः उपभोक्ता श्री हीरालाल माली के मीटर लगे स्थान पर मीटर लेने वाले व्यक्ति मौके पर गये ही नहीं व अनुमानित रीडिंग बाईन्डर मे लिखी हैं जिसके कारण कम राशि के बिल जनरेट हुये थें। अधिशाषी अभियंता लालसोट द्वारा उक्त पूरे प्रकरण की जांच कर जांच रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता को भिजवाई गयी थी, इसके पश्चात सहायक अभियंता श्री खेमराज बसवाल द्वारा रीडिंग डिफरेंश 57715 यूनिट उपभोक्ता के खाते मे डेबिट करने के लिये राजस्व अधिकारी जयपुर डिस्कॉम लालसोट को लिखा गया था। जिसके अनुसार उपभोक्ता श्री हीरालाल के खाते मे वर्तमान मे 339280 रू. सी.सी.एण्ड आर. नम्बर 7019/37/319 दिनांक 29.03.2018 द्वारा खाते मे डेबिट की गयी, जो उपभोक्ता द्वारा जमा नहीं करवायी गयी तथा मोबाईल में लिये गये फोटो की फोटोग्राफ्स जानबूझ कर तैयार नही करवाई गई। उपरोक्त विवेचित तथ्यों से पाया गया कि श्री खेमराज बसवाल सहायक अभियंता द्वारा उपभोक्ता श्री हीरालाल सैनी से आपसी मिलीभगत कर अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग करते हुऐ भ्रष्ट आचरण

अपनाकर वीसीआर में कांट छांट कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उपभोक्ता श्री हीरालाल सैनी को अनुचित फायदा पहुॅचाने के उद्देश्य से रीडींग कम करने उपभोक्ता की जुर्माना राशि कम की गई तथा निगम राजकोष में 339280/- रूपये की अनुचित हानि पहॅुचाने का कार्य किया है। श्री खेमराज बसवाल तत्तकालीन सहायक अभियंता कार्यालय (अ-प्रथम) लालसोट दौसा हाल सहायक अभियंता एटीवीएस तृतीय बहरोड व उपभोक्ता श्री हीरालाल सैनी पुत्र श्री दुर्गालाल सैनी निवासी तलाब की ढाणी लालसोट दौसा के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या जुर्म अन्तर्गत धारा 1988 धारा 13(1)(डी),13 (2), पी0सी0 एक्ट 1988 व 467,468,471,120बी भा.द.स. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है। (बहादुर सिंह) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस. यू. प्रथम जयपुर।..........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री बहादुर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 467,468,471 एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1 -श्री खेमराज बसवाल पुत्र श्री ताराचन्द बसवाल उम्र 34 साल, निवासी पुराना बस स्टैण्ड,टोडाभीम, जिला करौली तत्कालीन सहायक अभियंता (अ-प्रथम) लालसोट जिला दौसा एवं 2-श्री हीरालाल सैनी पुत्र श्री दुर्गालाल जाति माली उम्र 58 साल निवासी तलाब की ढाणी लालसोट जिला दौसा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री नवल किशोर मीना, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 368पर अंकित है। (महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1144-47 दिनांक 24-09-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-2,जयपुर। 2-प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर 4-उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस. यू. प्रथम जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** NAVAL KISHORE MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**
**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]/2024 1[illegible]2

Name(नाम): MAHAVEER SINGH
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 31/12/1983 | | | | |
| 2 | Male | 1966 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)